न्यूज़ टुडे

केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन (JJM) को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई

साथ ही जल जीवन मिशन के **बजट परिव्यय में भी वृद्धि** की गई है। ध्यातव्य है कि जल जीवन मिशन (JJM) को 2019 में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसका लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को **प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना था।** अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है।

- जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति संबंधी सभी निर्णयों में **ग्राम-स्तरीय नियोजन और सामुदायिक भागीदारी** को बढ़ावा दिया जाता है।
- **मिशन के तहत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति** में कम-से-कम 50% सदस्य महिलाएं होना अनिवार्य है।

जल जीवन मिशन (JJM) के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और उसे **जल जीवन मिशन** में शामिल कर लिया गया।
- **नोडल मंत्रालय/विभाग:** केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग।
- **योजना का प्रकार:** केन्द्र प्रायोजित योजना।
- **केंद्र और राज्य के बीच वित्त-पोषण पैटर्न:**
  - हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए **90:10 अनुपात** में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी;
  - **केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% वित्त-पोषण केंद्र सरकार द्वारा।**
  - शेष राज्यों के लिए केंद्र-राज्य वित्त-पोषण **अनुपात 50:50** है।

जल जीवन मिशन (JJM) की अब तक की प्रमुख उपलब्धियां:

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2019 में इस मिशन की शुरुआत के समय केवल **3.23 करोड़ परिवारों** को नल से पेयजल प्राप्त हो रहा था। अब **ऐसे परिवारों की संख्या बढ़कर 12 करोड़** हो चुकी है।
- **जिन राज्यों में 100% परिवारों** को नल से जल प्राप्त हो रहा है, वे हैं; **अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम।**
- **जिन केंद्र शासित प्रदेशों में 100% परिवारों** को नल से जल प्राप्त हो रहा है, वे हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; दादरा नगर हवेली और दमन दीव तथा पुडुचेरी।

केंद्रीय बजट 2025-26 में MSME वर्गीकरण के लिए नए मानदंडों की घोषणा की गई

केंद्रीय बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) की परिभाषा के लिये सभी श्रेणियों में निवेश और टर्नओवर की अधिकतम राशि को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया गया है।

- **इससे MSMEs को उच्चतर कार्यकुशलता, तकनीकी सुधार और अधिक पूंजी** प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

MSME क्षेत्रक के लिए बजट 2025-26 में घोषित अन्य पहलें:

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए **ऋण गारंटी कवर की राशि 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये** कर दी गई है।
- **उद्यम पोर्टल** पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए **10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड** जारी किए जाएंगे। एक क्रेडिट कार्ड से अधिकतम 5 लाख रुपये खर्च किए जा सकते हैं।
- **निर्यात संवर्धन मिशन** की शुरुआत की जाएगी। इस मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:
  - **निर्यात संबंधी ऋण प्राप्ति को सुगम बनाना,** तथा
  - विदेशी बाजारों में **गैर-टैरिफ अवरोधों से निपटने के लिए MSMEs को सहायता प्रदान करना।**
- **स्टार्ट-अप के लिए 10,000 करोड़ रुपये** से नया "फंड ऑफ फंड्स" स्थापित किया जाएगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए MSME का महत्त्व

- **रोजगार सृजन:** भारत में एक करोड़ से अधिक पंजीकृत MSMEs हैं। ये लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हुए हैं।
- **विनिर्माण में भागीदारी:** भारत के कुल विनिर्माण क्षेत्रक आउटपुट (उत्पादन) में MSMEs 36% का योगदान देते हैं।
- **निर्यात में हिस्सेदारी:** भारत के कुल निर्यात में MSMEs 45% का योगदान देते हैं।

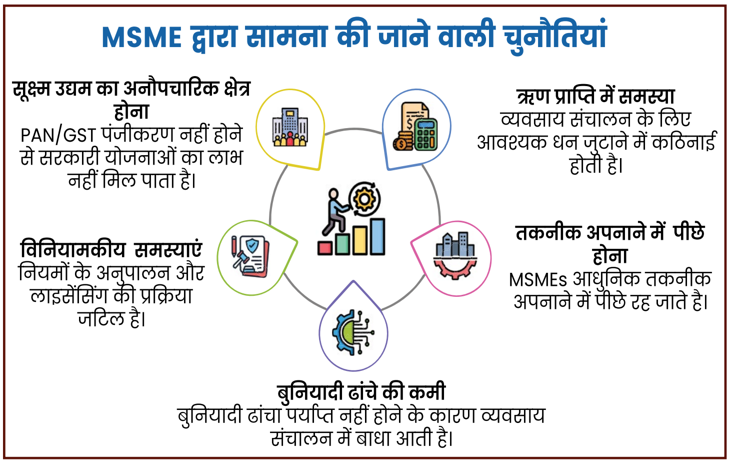

MSMEs परिभाषा के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन

उद्यम के प्रकार	अधिकतम निवेश में संशोधन	अधिकतम टर्नओवर में संशोधन
सूक्ष्म (Micro)	1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपये	5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये
लघु (Small)	10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये	50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये
मध्यम (Medium)	50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये	250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये

केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि उत्पादकता और अनुकूलता बढ़ाने के लिए कई पहलों की घोषणा की गई है

बजट में **कृषि उत्पादकता और अनुकूलता बढ़ाने** के लिए निम्नलिखित पहलों की घोषणा की गई हैं:

प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना:

- यह योजना **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme)** से प्रेरित है। यह योजना **राज्यों के साथ साझेदारी में** शुरू की जाएगी।
- **कवरेज:** इस योजना में **100 जिलों** को शामिल किया जाएगा। ये ऐसे जिले होंगे:
  - जहां कृषि उत्पादकता कम है,
  - जहां फसल गहनता सामान्य है, और
  - जो कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए मानदंडों को कम पूरा करते हैं।
- **योजना के अपेक्षित प्रभाव:** पूरे भारत में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है।
- **फोकस वाले मुख्य क्षेत्र:**
  - कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना।
  - **फसल विविधीकरण एवं संधारणीय पद्धतियों** को बढ़ावा देना।
  - **फसल कटाई के बाद पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अनाज भंडारण सुविधाओं** की संख्या और क्षमता बढ़ाना।
  - **सिंचाई सुविधाओं** में सुधार करना।
  - **किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण दिलाने में मदद करना।**

बजट में कृषि क्षेत्रक के लिए घोषित की गई अन्य प्रमुख पहलें

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन	• इस **6 वर्षीय मिशन में तुअर, उड़द और मसूर दालों के उत्पादन पर विशेष ध्यान** दिया जाएगा। • **प्रमुख प्राथमिकताएं: जलवायु-अनुकूल बीजों** का विकास, **उच्च प्रोटीन मात्रा वाली दालों का उत्पादन**, फसल **कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार**, आदि। • **नेफेड और NCCF** जैसी केंद्रीय एजेंसियां **पंजीकृत किसानों से अगले 4 वर्षों** के दौरान ऊपर वर्णित तीन प्रकार की **दालों की खरीद** करेंगी।
सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम	• **उद्देश्य:** इसे राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य सब्जियों और फलों के उत्पादन, आपूर्ति दक्षता, प्रसंस्करण और किसानों की आय में वृद्धि करना है। • कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा **कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) और सहकारी समितियों** की भागीदारी के लिए **संस्थागत तंत्र** स्थापित किए जाएंगे।

ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलता निर्माण कार्यक्रम (Building Rural Prosperity and Resilience Program):

- **उद्देश्य:** यह कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य **कृषि क्षेत्रक में रोजगार के कम अवसर उत्पन्न होने की समस्या का समाधान** करना है।
- **मुख्य फोकस क्षेत्र:**
  - **कौशल विकास, निवेश वृद्धि और प्रौद्योगिकी अपनाने में तेजी लाकर** ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।
  - कृषि उत्पादकता और अनाज भंडारण सुविधाओं में सुधार के माध्यम से **कृषि क्षेत्रक का आधुनिकीकरण** करना।
- **लक्षित लाभार्थी:** ग्रामीण महिलाएं, युवा किसान, सीमांत और लघु कृषक तथा भूमिहीन परिवार।
- **कार्यान्वयन रणनीति:**
  - अन्य देशों और भारत में **मौजूद सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों** को अपनाया जाएगा,
  - बहुपक्षीय विकास बैंकों से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी।
  - **कार्यक्रम के प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि-जिलों** को शामिल किया जाएगा।

'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' फ्रेमवर्क

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक **स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों और ग्रामीणों** की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **फ्रेमवर्क** तैयार करेंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव किया

विदेशी निवेश की यह बढ़ी हुई सीमा उन बीमा कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी **जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगी।**

- बीमा क्षेत्रक में FDI की **सीमा बढ़ाने के लिए बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956** और **बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999** में संशोधन करना होगा।

बीमा क्षेत्रक में 100% FDI का महत्त्व

- **निवेश में वृद्धि:** बीमा क्षेत्रक की संवृद्धि और विस्तार के लिए अधिक विदेशी पूंजी उपलब्ध होगी।
- **प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:** विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बीमा कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे लोगों के लिए **बेहतर बीमा उत्पाद, बेहतर बीमा सेवाएं** और **कम प्रीमियम पर** बीमा योजनाएं उपलब्ध होंगी।
- **तकनीकी सुधार:** विदेशी निवेश आने से बीमा कंपनियां **अत्याधुनिक तकनीक** अपना सकेंगी और बाजार में **नए बीमा उत्पाद** भी लॉन्च कर सकेंगी।
- बीमा की पैठ का विस्तार: विदेशी निवेश बढ़ने से अधिक लोगों को **बीमा कवरेज के दायरे में** लाया जा सकेगा। इससे **'2047 तक सभी के लिए बीमा'** के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

भारत के बीमा क्षेत्रक की स्थिति (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार)

- **कुल बीमा प्रीमियम** वित्त वर्ष 24 में 7.7% की वृद्धि के साथ **11.2 लाख करोड़ रुपये** तक पहुंच गया।
- **बीमा की पैठ (Insurance Penetration)** वित्त वर्ष 23 के **4%** से घटकर वित्त वर्ष 24 में **3.7%** हो गया है।
- **बीमा घनत्व (Insurance Density)** वित्त वर्ष 23 के **92 डॉलर** से बढ़कर **वित्त वर्ष 24 में 95 डॉलर** हो गया है।
  - **बीमा की पैठ** वास्तव में यह बताती है कि **देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का कितना प्रतिशत बीमा प्रीमियम संग्रह किया गया है।**
  - **बीमा घनत्व** का मतलब है कि किसी देश में **प्रति व्यक्ति औसतन कितना बीमा प्रीमियम संग्रह किया जाता है।**

भारत में बीमा क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **भारत में विश्व की बड़ी बीमा कंपनियों का न होना:** विश्व की 25 शीर्ष बीमा कम्पनियों में से 20 कंपनियां भारत में बीमा सेवाएं नहीं प्रदान कर रही हैं।
- **आर्थिक बाधाएं: बीमा प्रीमियम अधिक होने के कारण** बड़ी संख्या में लोग बीमा नहीं करवाते हैं।
- **भारतीय समाज में बीमा को अधिक प्राथमिकता नहीं देना:** भारत में लोग बीमा कराने की बजाय अन्य पारंपरिक निवेश (जैसे- सोना खरीदना) को प्राथमिकता देते हैं।

भारत में बीमा क्षेत्रक के विकास के लिए उठाए गए कदम

- **बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) का गठन:** इसका उद्देश्य बीमा उद्योग का संगठित और सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है।
- **बीमा लोकपाल नियम, 2017:** इसका उद्देश्य बीमा सेवाओं में मौजूद कमियों से संबंधित **शिकायतों का त्वरित, वहनीय तरीके से और निष्पक्ष समाधान** सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में पांडुलिपियों के लिए नए 'ज्ञान भारतम मिशन' की घोषणा की गई

इस मिशन का उद्देश्य देश भर में पाई जाने वाली पांडुलिपियों का **संरक्षण और उनका रखरखाव** करना है।

ज्ञान भारतम मिशन के बारे में

- **उद्देश्य:** शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों आदि में मौजूद एक करोड़ से अधिक पांडुलिपि विरासत का **"सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण"** करना।
- **इस मिशन का महत्त्व:**
    - **इससे ऐतिहासिक मूल्यों और विरासत** का संरक्षण सुनिश्चित होगा;
    - यह प्राचीन भारतीय ज्ञान को दुनिया के सामने लाएगा;
    - **पांडुलिपियों के दीर्घकालिक संरक्षण से यह भविष्य की पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सकेंगी।**
    - **पांडुलिपियों को आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा** आदि।
- इस नए मिशन के लिए **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन** (National Manuscripts Mission: NMA) के तहत बजट आवंटन 3.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

पांडुलिपियां क्या होती हैं?

- पांडुलिपियां कागज, वृक्ष की छाल, ताड़ के पत्ते आदि पर लिखी गई कम-से-कम 75 वर्ष पुरानी हस्तलिखित रचनाएं होती हैं, जिनका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक महत्व काफी अधिक होता है।
    - उदाहरण के लिए- **बख्शाली पांडुलिपि को** भोजपत्र (बर्च की छाल) पर लिखा गया है। यह प्राचीन गणितीय पांडुलिपि 3वीं या 4वीं शताब्दी ईस्वी की मानी जाती है। इसमें शून्य के उपयोग का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण मिलता है।
- **लिथोग्राफ्स और प्रिंटेड वॉल्यूम (मुद्रित ग्रंथ)** को पांडुलिपि में शामिल नहीं किया जाता है। पत्थर पर चित्र उकेरकर उसे कागज पर छापने की प्रक्रिया **लिथोग्राफ़ी** कहलाती है।
- इनकी विषय-वस्तु इतिहास, धर्म, साहित्य, ज्योतिष और कृषि पद्धतियां आदि हो सकती हैं।
- भारत में ब्राह्मी, कुषाण, गौड़ी, लेप्चा और मैथिली जैसी **80 प्राचीन लिपियों में अनुमानित 10 मिलियन पांडुलिपियां** हैं।
    - इनमें से 75% संस्कृत में और 25% क्षेत्रीय भाषाओं में हैं।

भारत में पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए की गई अन्य पहलें

- **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM):** पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने इसकी शुरुआत 2003 में पांडुलिपियों का पता लगाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए की थी।
- **भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता:** यहां लगभग 3600 दुर्लभ और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं।
- **एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल:** इसे 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया था। यह प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करती है।

"आयुष्मान भारत प्रधान-मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)" का लाभ 1 करोड़ गिग वर्कर्स को दिया जाएगा

यह घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गयी है। प्रधान-मंत्री जन आरोग्य योजना भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा देखभाल के लिए प्रति लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करती है।

- गिग वर्कर्स के लिए बजट में कई अन्य घोषणाएं भी की गई हैं। जैसे कि केंद्र सरकार गिग वर्कर्स के लिए **पहचान-पत्र जारी करेगी और ई-श्रम पोर्टल पर उनकी पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम** बनाएगी।

गिग वर्कर्स के बारे में

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** के अनुसार, **गिग वर्कर** वह व्यक्ति होता है जो **पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बिना** अपनी सेवाएं प्रदान करके आय अर्जित करता है।
- **नीति आयोग** के अनुसार, 2020-21 में **7.7 मिलियन** (77 लाख) लोग गिग इकॉनमी में कार्यरत थे। इस संख्या के 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

गिग वर्कर्स के समक्ष चुनौतियां

- **सीमित अवसर:** गिग इकॉनमी **इंटरनेट और डिजिटल तकनीक** पर निर्भर है। इस वजह से यह **शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित** है।
- **नौकरी और आय की असुरक्षा:** गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स को **प्रत्येक कार्य या सेवा के लिए भुगतान** किया जाता है। इससे उन्हें श्रम कानूनों के तहत **न्यूनतम वेतन और निश्चित दैनिक या साप्ताहिक कार्य-घण्टे का लाभ नहीं** मिल पाता है।
- **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलना:** गिग वर्कर्स को न तो **स्वास्थ्य बीमा का कवरेज प्राप्त है, न ही भविष्य निधि (EPF)** का लाभ प्राप्त हो रहा है।
- **एल्गोरिद्म प्रबंधन:** डिजिटल प्लेटफॉर्म पर **रेटिंग और प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर** गिग वर्कर्स को कार्य मिलता है, जिससे उन पर **भारी मानसिक दबाव** रहता है।

भारत में गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए मुख्य पहलें

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020:** इसमें गिग वर्कर्स को **जीवन बीमा, दिव्यांगता क्षतिपूर्ति हितलाभ और दुर्घटना बीमा** जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है।
- **ई-श्रम पोर्टल:** इसके तहत **असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW)** बनाया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे श्रमिकों के लिए **रोज़गार प्राप्ति कौशल को बढ़ाना** और उन्हें **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं** का लाभ दिलाना है।
- **राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023:** इसके तहत **प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स** को सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- **कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2024:** इसमें **गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड** की स्थापना और **कल्याण शुल्क** लगाने का भी प्रावधान किया गया है।

अन्य सुर्ख़ियां

इलायची

हाल ही में, केरल के पश्चिमी घाट में हरी इलायची की दो नई किस्मों; **एलेटारिया फेसिफ़ेरा** (Elettaria facifera) और **एलेटारिया ट्यूलिपिफ़ेरा** (Elettaria tulipifera) की खोज की गई है।

इलायची के बारे में

- इसे **"मसालों की रानी"** (Queen of spices) कहा जाता है। यह **जिंजिबेरेसी** (अदरक/Ginger) कुल से संबंधित है।
- यह **दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मसाला** (स्पाइस) है। **वेनिला और केसर** दुनिया के दो सबसे महंगे मसालें हैं।
- **खेती के लिए अनुकूल मौसम:** जून-दिसंबर सबसे अनुकूल मौसम माना जाता है।
- **आदर्श मृदा और जलवायु दशाएं:**
    - बेहतर जल निकासी वाली दोमट मिट्टी और घने छायादार क्षेत्र।
    - आमतौर पर यह वन क्षेत्र में **अम्लीय गुण वाली दोमट मिट्टी** में उगती है, जिसका **pH मान 5.0 – 6.5** के बीच होना चाहिए।
    - इसे समुद्र तल से **600 से 1500 मीटर तक की ऊंचाई** पर उगाया जाता है।
    - इसके लिए **गर्म आर्द्र जलवायु और वर्षा के समान वितरण के साथ 1500 - 4000 मिलीमीटर की वार्षिक वर्षा** अनुकूल मानी जाती है।
- विश्व बैंक के अनुसार, 2021 में **भारत इलायची का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक** था। **ग्वाटेमाला सबसे बड़ा निर्यातक** देश था।

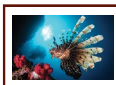

आक्रामक मछली प्रजातियां

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जा रही दो आक्रामक मछली प्रजातियों पर केंद्र से जवाब मांगा है।

- दोनों आक्रामक मछली प्रजातियां **IUCN की लीस्ट कंसर्न** श्रेणी में शामिल हैं।
- दोनों **लवणीय जल, उच्च लवणता और तापमान** को भी सहन कर सकती हैं।

गम्बूसिया एफिनिस (पश्चिमी मच्छर मछली) के बारे में

- **प्राकृतिक पर्यावास:** यह मछली **सेन्ट्रल इंडियाना और इलिनोइस** से लेकर **मिसिसिपी नदी बेसिन और दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी** तक पाई जाती हैं।
- **विशेषताएं:**
    - यह ताजे जल में पाई जाती है। यह **अत्यंत कम ऑक्सीजन की मात्रा वाले जल में भी जीवित** रह सकती है।
    - यह **विविपेरस (अंडे देने के बजाय सीधे बच्चे को जन्म देना)** होती है और **गर्मियों के पूरे मौसम में** प्रजनन करती हैं।
- यह IUCN द्वारा दुनिया की 100 **"सबसे अधिक आक्रामक विदेशी प्रजातियों"** में से एक थी।

पोसीलिया रेटिकुलाटा (गप्पी, मिलियनफिश और रेनबो मछली) के बारे में

- **प्राकृतिक पर्यावास:** उत्तरी दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई द्वीप।
- **विशेषताएं:** तालाबों और जलधाराओं के उथले क्षेत्र में पायी जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (International North South Transport Corridor: INSTC)

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, वित्त वर्ष 24 में **चाबहार बंदरगाह और INSTC के माध्यम से** पोत एवं कंटेनर यातायात में वृद्धि दर्ज की गई है।

INSTC के बारे में

- यह 7,200 किलोमीटर लंबा **मल्टी-मॉडल परिवहन मार्ग है**। यह मार्ग हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को, फिर आगे **ईरान से होते हुए कैस्पियन सागर से जोड़ता है**। आगे यह **मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए उत्तरी यूरोप तक** जाता है।
- इस कॉरिडोर की स्थापना 2000 **में ईरान, रूस और भारत** के मध्य सेंट पीटर्सबर्ग में आपसी सहमति से हुई थी। इसका उद्देश्य शामिल देशों के बीच **व्यापार और परिवहन संपर्क बढ़ाना** है।
- वर्तमान में, **INSTC परियोजना में 13 सदस्य देश** शामिल हैं। ये देश हैं; भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्किये, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया।
- इस परियोजना में **बुल्गारिया पर्यवेक्षक देश** के रूप में शामिल हुआ है।

वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS)

DRDO ने ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर से VSHORADS के **लगातार तीन उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण** किए हैं।

वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) के बारे में

- यह एक **ह्यूमन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम** है। इसे स्वदेशी रूप से हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत ने अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया है।
- यह एक **डबल थ्रस्ट सॉलिड मोटर** द्वारा संचालित होता है। यह कम दूरी पर **कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों** को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह अपनी पोर्टेबिलिटी और तेजी से तैनात होने की क्षमता के चलते **भारत की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती** है।

समुद्रयान परियोजना

समुद्रयान परियोजना के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना की शुरुआत डीप ओशन मिशन के तहत की गई है।

समुद्रयान परियोजना के बारे में

- **मंत्रालय:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।
- **उद्देश्य: डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए 3 मनुष्यों को 6000 मीटर की गहराई** तक ले जाने के लिए सेल्फ-प्रोपेल्ड पनडुब्बी विकसित करना।
  - **यह पनडुब्बी 12 घंटे की परिचालन अवधि और आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे** तक कार्य कर सकती है।
- **अवधि:** 2020-2021 से 2025-2026 तक।
- **महत्त्व:**
  - **अन्वेषण: इससे** जैव विविधता का आकलन, **मैंगनीज, कोबाल्ट, तांबा, निकल और गहरे समुद्र के अन्य निक्षेप जैसे खनिज संसाधनों का अन्वेषण किया जा सकेगा**। इससे भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।
  - **अनुसंधान:** इससे हाइड्रोथर्मल वेंट और मीथेन सीप्स में रसायन संश्लेषित जैव विविधता को समझने में मदद मिलेगी।

अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (Ocean Coordination Mechanism: OCM)

हाल ही में, यूनेस्को के अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (UNESCO-IOC) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- इस समझौता ज्ञापन के तहत 'व्यापक कैरेबियन क्षेत्र (Wider Caribbean region)' के लिए **महासागर समन्वय तंत्र** स्थापित किया जाएगा।

अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (OCM) के बारे में:

- **उद्देश्य:** व्यापक कैरेबियन क्षेत्र के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए **संधारणीय भविष्य सुनिश्चित करना**।
- **वित्त-पोषण:** इसे **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility: GEF)** से वित्त-पोषण प्राप्त होगा।
- **मुख्य कार्य:**
  - समुद्री संसाधनों के संधारणीय तरीके से उपयोग के लिए **हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना**।
  - **ब्लू इकोनॉमी का संधारणीय विकास** सुनिश्चित करना तथा **समुद्री और तटीय विकास के लिए सीमित संसाधनों का प्रभावी तरीके से उपयोग** करना।
- इस आयोग के **एग्जीक्यूटिव ग्रुप के सदस्य** में कई **अंतर्राष्ट्रीय संगठन** शामिल हैं। साथ ही, इसकी **स्टीयरिंग कमेटी** के सदस्य कई देश हैं।

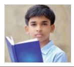

भारतीय भाषा पुस्तक योजना

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने की घोषणा की है।

भारतीय भाषा पुस्तक योजना के बारे में

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य स्कूली और उच्चतर शिक्षा के स्तर पर **भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना** है। इससे विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।
- यह योजना **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप** है। इस योजना के तहत **स्कूलों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को डिजिटल फॉर्मेट में पाठ्य-पुस्तकें और अध्ययन सामग्री** मिलेंगी।
- यह योजना '**अस्मिता (ASMITA)** पहल के उद्देश्यों को पूरा करने में भी सहायता करेगी। **अस्मिता (ASMITA)** से तात्पर्य है; **ऑग्मेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग**।
  - केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और UGC ने 2024 में **अस्मिता पहल की शुरुआत** की थी। इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है।

फसलों के जर्मप्लाज्म भंडारण के लिए जीन बैंक

केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत में **दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक** की स्थापना की घोषणा की गई है। इसमें फसलों के लाखों **जर्मप्लाज्म भंडारित होंगे** जिससे **भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित** करने में मदद मिलेगी।

- जीन बैंक वास्तव में **फसल आनुवंशिक सामग्रियों का भंडार** होता है। इन आनुवंशिक सामग्रियों में बीज, पराग या ऊतक के सैंपल्स शामिल होते हैं। ये जीन बैंक **फसल किस्मों को विलुप्त होने से बचाते हैं**।

भारत के प्रथम राष्ट्रीय जीन बैंक के बारे में

- **भारत के पहले राष्ट्रीय जीन बैंक** की स्थापना 1996 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBPGR) द्वारा **नई दिल्ली में** की गई थी।
- इस जीन बैंक के **देश भर में 12 क्षेत्रीय स्टेशन** हैं। ये फसलों के **महत्वपूर्ण जर्मप्लाज्म का संग्रह और भंडारण** करते हैं।
  - ये जर्मप्लाज्म **पादपों या प्राणियों के आनुवंशिक घटक** होते हैं। इनका उपयोग **अनुसंधान, संरक्षण और क्रॉप ब्रीडिंग** में किया जाता है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

जापान (राजधानी: टोक्यो)

जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने नए H3 रॉकेट से नेविगेशन उपग्रह **"मिशिबिकी 6 (Michibiki 6)" को सफलतापूर्वक** लॉन्च किया है।

- **मिशिबिकी 6** जापान की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का पांचवां उपग्रह है।
- जापान की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली को **कुआसी-जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम (QZSS)** कहा जाता है।

भौगोलिक अवस्थिति

- **स्थलीय सीमाएं:** जापान एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसकी सीमा किसी भी अन्य देश से नहीं लगती है।
  - जापान का लगभग संपूर्ण भू-क्षेत्र **चार मुख्य द्वीपों** पर फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अवस्थित इन द्वीपों के नाम हैं- **होक्काइडो (सबसे बड़ा), होंशू, शिकोकू** और **क्यूशू**।
  - **समुद्री सीमाएं:** इसके पूर्व में प्रशांत महासागर; उत्तर में ओखोटस्क सागर; पश्चिम में जापान सागर (जिसे पूर्वी सागर भी कहा जाता है); और दक्षिण-पश्चिम में पूर्वी चीन सागर है।

भौगोलिक विशेषताएं

- **जलवायु:** जापान में जलवायु विविधता पाई जाती है। यहां के उत्तरी हिस्से में उप-आर्कटिक जलवायु और दक्षिणी हिस्से में आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है।
- **सबसे ऊंची चोटी:** माउंट फूजी (3,776 मीटर), जो कि एक स्ट्रैटोवोल्केनो है।
- **प्रमुख नदियां:** शिनानो नदी (सबसे लंबी), टोन नदी, और किसो नदी।
- **पैसिफिक रिंग ऑफ फायर** के नजदीक स्थित होने के कारण यहां बार-बार भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं।